

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/प-2/1/4/रातस/तह.कार्यव्यवस्थार्थ/2021-22/३५६६

दिनांक: २०-०२-२८

—: आदेश :—

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) जयपुर, के पत्र क्रमांक प.7(3)राज-1/2019 दिनांक 20.02.2022 के कम में राजस्व मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3100 दिनांक 20.2.22 एवं क्रमांक 3501 दिनांक 20.02.2022 में आंशिक संशोधन कर निम्नांकित नायब तहसीलदारों /अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार के पद पर वरिष्ठता के आधार पर स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन पर) में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर एतद्वारा तुरंत प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :—

क्र.सं.	नाम श्री/ श्रीमती/ सुश्री	वर्तमान कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन स्थान	नवीन कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1	इमरान खान	नायब तहसीलदार पाली से एएफएसओ फोरेस्ट जोधपुर पदस्थापनाधीन	संशोधित कर तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर	—
2	नेहा जैन	नायब तहसीलदार अरनोद जिला प्रतापगढ़ से पदस्थापनाधीन तहसीलदार एल.आर.बांसवाड़ा	संशोधित कर तहसीलदार एल.आर. प्रतापगढ़	—
3	विपिन चौधरी	नायब तहसीलदार बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ से पदस्थापनाधीन तहसीलदार आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा	संशोधित कर तहसीलदार बस्सी जिला चित्तौड़गढ़	—
4	धर्मन्द्र स्वामी	नायब तहसीलदार पाटन जिला सीकर से पदस्थापनाधीन तहसीलदार बस्सी जिला चित्तौड़गढ़	संशोधित कर तहसीलदार भद्रेसर जिला चित्तौड़गढ़	—
5	शैलजा शेखावत	नायब तहसीलदार सेटलमेंट जयपुर से पदस्थापनाधीप तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर	संशोधित कर सेटलमेंट जयपुर	—
6	प्रीतम कुमारी मीणा	नायब तहसीलदार पीपलदा कोटा से पदस्थापनाधीप तहसीलदार रायपुर जिला झालावाड़	संशोधित कर संभागीय आयुक्त कार्यालय कोटा	—
7	जतिन दिनकर	नायब तहसीलदार छबड़ा जिला बांरा से पदस्थापनाधीन तहसीलदार पीपलदा जिला कोटा	संशोधित कर तहसीलदार रायपुर जिला झालावाड़	—
8	अर्जुन लाल मीणा	नायब तहसीलदार रायथल बूंदी से पदस्थापनाधीन तहसीलदार असनावर झालावाड़	तहसीलदार पीपलदा जिला कोटा	—
9	पवन कुमार	नायब तहसीलदार जालसू जिला जयपुर से पदस्थापनाधीन तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर	संशोधित कर तहसीलदार जोबनेर जिला जयपुर	—
10	मूलाराम	नायब तहसीलदार जसोल जिला बाड़मेर से पदस्थापनाधीन पीपाड़शहर जिला जोधपुर	संशोधित कर संभागीय आयुक्त कार्यालय बीकानेर	—
11	गणपत सिंह जोधा	नायब तहसीलदार एस.डी.एम कार्यालय आहोर जिला जालोर से पदस्थापनाधीन तहसीलदार निर्वाचन पाली	तहसीलदार सिवाना जिला बाड़मेर	—
12	फारुक अली खान	नायब तहसीलदार भानीपुरा चूरू से पदस्थापनाधीन तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी सीकर	तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर	—
13	श्री कुलदीप मीणा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से पदस्थापनाधीन तहसीलदार फतेहपुर सीकर	तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी सीकर	—

14	सुश्री रम्मी शर्मा नायब तहसीलदार	नायब तहसीलदार बसवा दौसा से पदस्थापनाधीन तहसीलदार शाहबाद, बारां	तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां	-
15	श्री शिवनारायण नायब तहसीलदार	नायब तहसीलदार गंगधार, झालावाड़ से पदस्थापनाधीन तहसीलदार बारां	तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां	-
16	विरेन्द्र सिंह शेखावत	नायब तहसीलदार पीपाड़शहर जिला जोधपुर रे तहसीलदार पदोन्नति पर तहसीलदार सांभागीय आयुक्त कार्यालय बीकानेर रथानान्तरणाधीन	तहसीलदार पीपाड़शहर जिला जोधपुर	-

राजस्व मण्डल के समसंचयक आदेश क्रमांक 3100 दिनांक 20.2.22 में कम संख्या 50 पर अंकित श्री राजेन्द्र प्रसाद कुमावत की मृत्यु होने व एकम संख्या 64 पर अंकित श्री गजेन्द्र सिंह का आदेश में दोहरे नाम होने से इनके नाम विलोपित किये जाते हैं।

नोट:- उक्त अधिकारियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

उक्त कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन निम्न शर्तों के अध्ययनीन रहेगा :-

1- स्कीनिंग समिति द्वारा उक्त नायब तहसीलदारों एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हेतु स्कीनिंग की गयी है। स्कीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल और केवल मात्र उक्त नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के केवल कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु उपयोगी होगी इसका अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं किया जा सकेगा और इसके आधार पर कोई भी नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी किसी भी भाँति के अनुभव, पदोन्नति एवं वित्तीय परिलाभ का न तो हकदार होगा और नहीं किसी हक का दावा / मांग किसी भी न्यायालय / अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था / विभाग के समक्ष करेगा।

2- कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापित नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन की कार्यावधि के आधार पर किसी भी प्रकार की पदीय वरिष्ठता के हकदार नहीं होंगे तथा उक्त कार्यावधि के आधार पर प्राप्त किसी अनुभव का पदोन्नति या वरिष्ठता में शुमार नहीं किया जायेगा। ना ही कोई नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी इस आधार पर वरिष्ठता या पदोन्नति का दावा / मांग करेगा।

3- यह केवल मात्र कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन है इसे किसी भी रूप में तदर्थ अथवा नियमित पदोन्नति की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। न तो कोई नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी उक्त आधार पर किसी तदर्थ या नियमित पदोन्नति का हकदार होगा और न ही वह ऐसे किसी हक का दावा या मांग भविष्य में किसी भी न्यायालय / अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था / विभाग के समक्ष पेश करेगा।

4- उक्त नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मूल रूप से नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ही बने रहेंगे तथा नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को प्राप्त वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय परिलाभ के न तो हकदार होंगे और न ही किसी हक का दावा या मांग भविष्य में किसी भी न्यायालय / अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था / विभाग के समक्ष पेश करेगा।

5- कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन के उक्त आदेश को प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय प्रत्याहरित किया जा सकेगा और नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को उनके मूल पद पर पुनः पदस्थापित किया जा सकेगा। कोई भी नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी इस संदर्भ में लिये गये किसी निर्णय को किसी भी न्यायालय / अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था / विभाग के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

आदेशानुसार,


(भवन सिंह सान्दू)

निबन्धक,

राजस्व मण्डल राज., अजमेर

दिनांक: 20-02-22

क्रमांक: सम/ 3567.93

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज., अजमेर।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
- 3- विशिष्ट सहायक, मा. राजस्व मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
- 4- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4- आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 5- आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
- 6- संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।

- 7- जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
8- प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/वि.जांच/कंप्यूटर्स) राजस्व मण्डल राज., अजमेर।
9-
10- सम्बंधित.
11- आदेश पंजिका/ निजी पत्रावली।


निबन्धक,
राजस्व मण्डल राज., अजमेर